



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 931) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-26/2026-6334/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 23, 2026]

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम XI, 2007) या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।
- (3) यह राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 27 में संशोधन।— बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 27 की उपधारा 2(ड) के पश्चात् नयी उपधाराएँ 2(च) एवं 2 (छ) निम्नवत् जोड़ी जायेगी :-

“(च) ग्राम पंचायत द्वारा अथवा उसकी ओर से जहाँ पंचायत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि/भवन पर विज्ञापन हेतु प्रबंध किया जाये एवं निजी भूमि/भवन का उपयोग विज्ञापन हेतु किया जाए, वहाँ विज्ञापन शुल्क।

(छ) अन्य शुल्क या दर जो सरकार द्वारा पंचायत के संसाधन में वृद्धि हेतु विहित की जाए।”

3. बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 167 में संशोधन।— बिहार अधिनियम, 6, 2006 की धारा 167 के पश्चात् एक नयी धारा 167क निम्नवत् जोड़ी जायेगी :-

“167क ग्रामीण क्षेत्रों में योजना एवं भवन संचालन का नियंत्रण, विनियमन एवं अनुश्रवण.-

- (1) नगरपालिका सीमा के बाहर और बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 से आच्छादित नहीं किये गये क्षेत्रों में भू-सम्पदा विकास की परियोजना, बिल्डिंग अपार्टमेंट का निर्माण/परिनिर्माण/परिवर्तन, ग्रुप हाऊसिंग परियोजनाओं, वाणिज्यिक भवनों, ले-आउट योजनाओं तथा सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य संरचना का नियंत्रण, विनियमन एवं अनुश्रवण सरकार द्वारा विहित उप-विधि के अधीन इस हेतु गठित प्राधिकरण/प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा।
- (2) उक्त प्राधिकरण गैर-शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण के उन्नयन की योजना बनाने हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा सामान्य रूप से पूरे क्षेत्र और विशेष रूप से संबंधित क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करायेगा।
- (3) राज्य सरकार धारा 167क(2) में उल्लिखित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों की अपील की सुनवाई एवं निर्णय के लिए एक ग्रामीण भवन न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर सकेगी।”

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

5 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-26/2026-6335/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमत बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 23, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 23, 2026]

The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2026

AN

ACT

to amend the Bihar Panchayat Raj Act, 2006 (Bihar Act 6, 2006)

Be it enacted in the seventy-seventh year of the Republic of India by the state Legislature of Bihar as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar excepting the areas to which the provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 (Act No. XI of 2007) or Cantonment Act, 1924 (Act II of 1924) apply.
- (3) It shall come into force with effect from the date of its notification in the official Gazette.

2. Amendment of section 27 of the Bihar Act 6, 2006.—After sub-section 2(e) of section 27 of the Bihar Act 6, 2006, new sub-sections 2(f) and 2(g) shall be added as hereunder:-

“(f) Advertisement Fee, where arrangement for advertisement is made by or on behalf of the Gram Panchayat on public land/building and private land/ building, within its jurisdiction.

(g) Any other fee or rate which the Government may prescribe for enhancement in the Panchayat’s resources.”

3. Amendment of section 167 of the Bihar Act 6, 2006.—After section 167 of the Bihar Act 6, 2006, a new section 167A shall be added as hereunder: -

"167A Control, Regulation and Monitoring of Planning and Building Operations in Rural Areas: -

- (1) Development of a real estate project, Construction/erection/ alteration of building apartments, group housing projects, commercial buildings, layout plans and such other structures as notified by the Government outside municipal limits and areas not covered under the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 shall be controlled, regulated and monitored by an Authority/Authorities constituted for this purpose subject to such Bye-laws as may be prescribed by the Government.
- (2) The said authority shall also be responsible for planning in non-urban areas for improvement of infrastructure and environment and secure balanced development of the Region in general and for the planned development of the area in particular."
- (3) The State Government may appoint a Rural Building Tribunal to hear and decide appeals of orders passed by the Authority mentioned in section 167A(2)."

BALRAM DUBEY,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 931-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>